

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक - 98

प्रकरण क्रमांक- M-PRO-2023-01963

आवेदक : मेसर्स सेलेब होम्स प्रा.लि., द्वारा-डायरेक्टर श्री अक्षय जैन, निवासी-डी-5, विला कैलिफोर्निया, अमलेश्वर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) विरुद्ध श्रीमती शिखा अग्रवाल, पता-सी ब्लॉक, क्रमांक-सी-2(सी-1-2), "सेलिबिटी होम्स" हीरापुर, कबीर नगर के पास, जिला-रायपुर (छ.ग.)

प्रोजेक्ट - "सेलिबिटी होम्स", हीरापुर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
27/03/2024	<p>- प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>- आवेदक द्वारा अधिवक्ता श्री चन्द्रकांत पटाशकर उपस्थित।</p> <p>- अनावेदक द्वारा कोई उपस्थित नहीं।</p> <p>आवेदक द्वारा आवेदन पत्र पेश है कि अनावेदक पक्ष द्वारा मेंटनेंस की पूर्ण राशि मार्च, 2024 तक जमा कर दिया गया है, किसी प्रकार का बकाया शेष नहीं है। अनावेदक के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं। प्रकरण समाप्त कराना चाहते हैं। आवेदक अभिभाषक द्वारा आदेश पत्र में भी टिपांकित किया गया है।</p> <p>अतएव आवेदक द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं चाहते हैं। आवेदक के आवेदन पत्र एवं निवेदन पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त किया जाकर नस्तीबद्ध किया गया। अभिलेख कोष्ठ दाखिल, किया जावे।</p> <p>सही/- (धनंजय देवांगन) सदस्य</p> <p>सही/- (संजय शुक्ला) अध्यक्ष</p>	